विवरण 2क

ब.अ. 2022-23 और सं.अ. 2022-23 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2022-23 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,42,323 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मदें, जहां अन्तर आए हैं, नीचे दर्शाई गई हैं:-

(₹ करोड़)

		ब.अ. 2022-23	सं.अ. 2022-23	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	उद्योग	91266	173905	(+) 82639
2	खाद्य भंडारण और माल गोदाम	215643	289329	(+) 73686
3	पेंशन	207132	244780	(+) 37648
4	पेट्रोलियम	8290	33578	(+) 25288
5	रक्षा सेवाएं	385370	409500	(+) 24130
6	रेलवे पर पूंजी परिव्यय	137100	159100	(+) 22000
7	कृषि कार्य	122137	140651	(+) 18514
8	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	180301	196820	(+) 16519
9	ग्रामीण रोजगार	73000	89400	(+) 16400
10	अन्य संचार सेवाएं	10285	24049	(+) 13764
11	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	55631	68654	(+) 13023
12	आवासन	12072	20990	(+) 8918
13	अन्य व्यय	2753592	2799711	(+) 46119
	कुल व्यय	**3944909**	**4187232**	**(+) 242323**

निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है

1 स्वदेशी यूरिया और यूरिया के आयात के लिए भुगतान हेतु उर्वरक (यूरिया) सब्सिडी के अंतर्गत अधिक आवश्यकताएं

2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए अधिक आवश्यकताएं

3 मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' के कार्यान्वयन, इस पर बकाया भुगतान के प्रावधान और सीजीएचएस पेंशनरों की चिकित्सा उपचार के व्यय के लिए

4 घरेलू एलपीजी की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत तेल विपणन वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को एक मुश्त अनुदान के प्रावधान को पूरा करने के लिए

5 सेना, नौसेना और वायु सेना के राजस्व व्यय की अधिक आवश्यकताओं के लिए

6 रेलवे के रोलिंग स्टॉक और ट्रैक नवीनीकरण के अधिक प्रावधान को पूरा करने के लिए

7 किसानों को रियायती दरों पर स्वदेशी/आयात किया हुआ विनियंत्रित फोसपेटिक और पोटासिक उर्वरक की भिक्री पर पोषण आधारित सब्सिडी के अधिक आभंटन के लिए

8 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के विकास के प्रावधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अधिक निवेश

9 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक आवश्यकता के लिए

10 बीएसएनएल को वर्ष 2024-15 से 2020-21 तक के लिए अनवाइबल रूरल वायर-लाइन ऑपरेशन्स के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन के अधिक प्रावधान के लिए

11 संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन की कमी को पूरा करने हेतु अधिक आवश्यकता के लिए

12 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ निम्न आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अधिक आबंटन के लिए